आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974

(1974 का अधिनियम संख्यांक 12)

[27 मार्च, 1974]

कतिपय आर्थिक अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 के उपबन्ध लागू न होने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 है।

(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है जिनको दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) लागू है।

(3) यह 1974 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 का लागू न होना—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 36 की कोई बात—

(i) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति के अधीन दंडनीय किसी अपराध को, अथवा

(ii) ऐसे अपराध के साथ उस संहिता के उपबंधों के अधीन विचारणीय किसी अन्य अपराध को,

लागू न होगी और अधिकारिता वाला न्यायालय खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का संज्ञान ऐसे कर सकेगा मानो उस अध्याय के उपबंध अधिनियमित नहीं किए गए थे।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11)

[1][1क. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 63 का खण्ड (क)]

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)]

[2][2क. ब्याज-कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45)]

[3][2ख. होटल-आमदनी कर अधिनियम, 1980 (1980 का 54)]

[4][2ग. व्यय-कर अधिनियम, 1987]

3. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7)

4. धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)

5. दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18)

6. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74)

7. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

[5][7क. वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 ।]

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 65 की धारा 10 (ख) द्वारा अंत:स्थापित।

[2] 1974 के अधिनियम सं० 45 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित।

[3] 1980 के अधिनियम सं० 54 की धारा 37(2) द्वारा अंत:स्थापित।

[4] 1987 के अधिनियम सं० 35 की धारा 33(2) द्वारा अंत:स्थापित।

[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 96 द्वारा अंत:स्थापित।

8. औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16)

9. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

10. स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45)

11. आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18)

12. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7)

13. विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (1973 का 46)

14. पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29)

15. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)

16. आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1962 (1962 का 62)

17. आपात संकट (कारखाना) बीमा अधिनियम, 1962 (1962 का 63)

18. आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50)

19. आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51)

20. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57)

[1][21. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)]

[2][22. बेनामी संपत्ति व्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45)

23. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)

24. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)

25. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और

26. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15)]

———

[1] 1981 के अधिनियम सं० 81 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 152 द्वारा अंत:स्थापित ।